दिनांक: 19.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 40 पाउच अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री/खरीद व तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 18.01.2026 को अभियुक्त ***नरेश उर्फ भगतजी पुत्र सतपाल उम्र 45 वर्ष निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर*** *को शांति धाम रोड़ से नानू माजरा जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 40 पाउच अवैध देशी शराब महबूबा शीरे से उ0प्र0 में निर्मित देशी मदिरा बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 023/2026 धारा 60(1) आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

नरेश उर्फ भगतजी पुत्र सतपाल निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- *40 पाउच अवैध देशी शराब*

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. *उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
2. *हे0का0 661 सम्राट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 1996 मोहित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*

दिनांकः 19.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू व 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

*अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.01.2026 को गस्त के दौरान अभियुक्त **रोहित उर्फ छोटू पुत्र बुच्चा नि0 ग्राम मोहनपुरा उर्फ मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को विद्यार्थी तिराहे से नकुड़ की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू व 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 38/26 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

बरामदगी का विवरण-

- *01 अदद चाकू*
- *01 अदद मोटरसाईकिल बिना नम्बर*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रोहित उर्फ छोटू पुत्र बुच्चा नि0 ग्राम मोहनपुरा उर्फ मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0स0 363/23 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
2. *मु0अ0स0 203/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
3. *मु0अ0स0 204/24 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
4. *मु0अ0स0 205/24 धारा 411/414 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
5. *मु0अ0स0 136/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
6. *मु0अ0स0 60/24 धारा 414/420/465 भादवि व 4/25 आर्मस एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर।*
7. *मु0अ0स0 115/23 धारा 3/5/25 आर्मस एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री आदित्य कुमार भाटी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
2. *है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 1013 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*

4. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
5. का0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

दिनांक: 19.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 1850/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.12.2025 को वादी राव तवरेज पुत्र हाजी गफूर निवासी शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से रुपये व अन्य सामान चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 682/2025 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.01.2026 को पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त **आस मौ0 उर्फ मिया पुत्र नईम निवासी उमही थाना नांगल जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 1850/- रुपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

आस मौ0 उर्फ मिया पुत्र नईम निवासी उमही थाना नांगल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 1850/- रुपये नकद

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 535/2019 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 259/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 260/2019 धारा 465 भादवि थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 54/2020 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 257/2019 धारा 380/511 भादवि थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 42/2020 धारा 60(1) आबाकरी अधिनियम थाना नांगल जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कतोवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 917 धर्मवीर सिंह कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
4. का0 1718 अंकित धामा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.01.2026

<u>पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 10.03.2015 को प्रभारी निरीक्षक श्री हरेन्द्रपाल सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.रिजवान पुत्र यासीन 2.ताहिर पुत्र यासीन 3.तोहिद पुत्र यासीन समस्त नि0गण मौ0 जैन नगर थाना खतौली जनपद मुजफफरनगर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0स0-60/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडगांव जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-45/2026 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 19.01.2026 को अभियुक्त तोहिद पुत्र यासीन निवासी मौ0 जैन नगर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर को थाना बड़गाव पर पंजीकृत मु0अ0स0-60/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मानसिंह
विवेचक- निरीक्षक श्री पवन शर्मा
पैरोकार- का0 अंकित कुमार थाना बडगांव सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 19.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत मुठभेड़ में 01 अन्तर्राज्यीय शातिर गौकश/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व एक जिन्दा गोवंश बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त चैकिंग की जा रही है/इसी क्रम में आज दिनांक 19.01.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा ग्राम दूधगढ़ से टाप्पूमाजरा वाले रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि कुछ लोग गन्ने के खेत में गोकशी के लिए गये है। सूचना पर तत्काल थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुँचे तो एक व्यक्ति गोवंश को खेत में गोकशी करने के लिए पहुँचा ही था कि थाना चिलकाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त व्यक्ति के नजदीक पहुँचे तो गौकश पुलिस को पास आता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायिरंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र याकूब निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश/गौकश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार घायल अभियुक्त/गौकश के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व एक जिन्दा गोवंश बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त एक अन्तर्राज्यीय बदमाश है, जिसके विरूद्ध हरियाणा व जनपद के अलग अलग थानो मे गौकशी आदि के लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 22/2026 धारा-109(1) बीएनएस व 3/8 सीएस एक्ट व 3/25,5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र याकूब निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- गौकशी के उपकरण
- एक जिन्दा गौवंश

अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 079/11 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 01/16 धारा 279/336/307/332/353/186/473/506/120बी भादवि 4ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सदर यमुनानगर
3. मु0अ0सं0 49/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 051/2017 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 466/2017 धारा 379बी /458 भादवि व 24/54/59 आर्म्स एक्ट थान बुढाना करनाल हरियाणा
6. मु0अ0सं0 087/2012 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना चिलकाना सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 351/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 024/2019 धारा 279/336/427 भादवि थाना सदर यमुनानगर हरियाणा
9. मु0अ0सं0 148/2019 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 029/2019 धारा 379/473 भादवि थाना छापर जिला यमुनानगर हरियाणा
11. मु0अ0सं0 038/2016 धारा 4बी/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बलदेव नगर अम्बाला
12. मु0अ0सं0 334/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 335/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 248/2021 धारा 457/380 भादवि थाना बराडा जनपद अम्बाला हरियाणा
15. मु0अ0सं0 326/2021 धारा 307/34/379 भादवि थाना मुलाना अम्बाला हरियाणा
16. मु0अ0सं0 473/2021 धारा 307 /34 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 474/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 480/2021 धारा 414 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 102/2022 धारा 147/148/307/323/354ख/392/427/504/506 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुखवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. म0उ0नि0 श्री माधुरी शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. है0का0 461 धर्म सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. का0 150 सौरव पंवार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
7. का0 2331 लवलेश राठी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक: **19.01.2026**

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा आपरेशन क्लीन के अन्तर्गत विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित 02 अभियोग का माल कराया गया विनिष्टीकरण</u>

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे आपरेशन क्लीन अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नेतृत्व में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-294/16 धारा- 5क/5ख विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित माल 04 कार्टून विस्फोटक पदार्थ (पटाखे) व मु0अ0सं0- 79/21 धारा- 286 भादवि व 5 विस्फोटक अधि0 से सम्बन्धित माल 10 प्लास्टिक के बोरो में पटाखे का बीडीडीएस टीम के द्वारा नियमानुसार विनिष्टीकरण किया गया।

<u>विनिष्ट किया गया माल—</u>

1. मु0अ0सं0-294/16 धारा- 5क/5ख विस्फोटक अधि0 से सम्बन्धित माल 04 कार्टून विस्फोटक पदार्थ (पटाखे)
2. मु0अ0सं0- 79/21 धारा- 286 भादवि व 5 विस्फोटक अधि0 से सम्बन्धित माल 10 अदद प्लास्टिक के बोरो में पटाखे

<u>विनिष्टीकरण के दौरान मौजूद अधिकारीगण/कर्म0गण</u>

1. *श्री अमित कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर*
2. *श्री नेमचन्द सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर*
3. *श्री उदय वीर सिंह (उ0नि0) प्रभारी बीडीडीएस टीम, सहारनपुर*
4. *एचएम 977 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर*

दिनांक 19.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जपनद सहारनपुर उत्तरप्रदेश

सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताः सहारनपुर पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों की तैनाती, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान और कोहरें में विशेष सतर्कता

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अकुश लगाने के उद्देश्य से एक व्यापक, समन्वित एवं सतत रोड सेफ्टी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा सड़क पर अनुशासित यातायात संस्कृति विकसित करना है।

- **क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों की तैनाती-** यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु यातायात पुलिस के साथ साथ जनपट के समस्त थानों पर क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें दुर्घटना संभावित मागों, ब्लैक स्पॉट्स, भीड़भाड़ वाले चौराहों, राष्ट्रीय एवं राज्य मागों पर निस्तर निगरानी रखते हुए यातायात को सुचारू बनाए रखने का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

- **यातायात नियमों के पालन हेतु संघन जागरूकता अभियान-** क्रिटिकल कॉरिडोर टीम चाहन चालकों को हेलमेट सीट बेल्ट निर्धारित गति सीमा, लेन ड्राइविंग, ओवरलोडिंग न करने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण यातायात नियमों के प्रति निरंतर जागरूक कर रही है। आमजन को यह सटेश दिया जा रहा है कि यातायात नियम केवल कानून नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का माध्यम है।

- **सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहत एवं चिकित्सा सुविधा-** किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर समुचित उपचार उपलब्ध कराना इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है। पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि दुर्घटना के बाद 'गोल्डन आवर का पूर्ण ध्यान रखते हुए बिना किसी देरी के राहत कार्य सुनिश्रित किया जाए, जिससे जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।

- **"नो हेलमेट - नो पयूल" अभियान का कड़ाई से अनुपालन-** दोपहिया वाहन बालको की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट-नो क्यूल अभियान को प्रभावी रूप से लागू कराया जा रहा है। पेट्रोल पप सचालको को स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन न दिया जाए, जिससे हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा मिल सके।

- **सर्दी एवं कोहरे के मौसम में विशेष सावधानी-** वर्तमान शीतकालीन मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं, ताकि वाहनों की दृश्यता बढ़ाई जा सके। विशेष रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉली, भारी वाहन एवं धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने पर जोर दिया जा रहा है।

- **नशा एवं नींद में वाहन चलाने के विरुद्ध सख्त संदेश-** वाहन चालकों को यह स्पष्ट रूप से जागरूक किया जा रहा है कि नशे अथवा नींद की अवस्था में वाहन चलाना अत्यंत घातक है। इस प्रकार की लापरवाही न केवल चालक के लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे है।

- **जनसहयोग से सक्षित यातायात का संकल्प-** सहारनपुर पुलिस जनपद के समस्त नागरिकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें तथा स्वयं भी दूसरों को सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित करो जनसहयोग से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित, अनुशासित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था को साकार किया जा सकता है।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **19.01.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

सहारनपुर पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस, शब-ए-बारात व रविदास जयंती के दृष्टिगत ग्राम चौकीदारों की गोष्ठी आयोजित

आज दिनांक **19.01.2026** को **श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में जनपद **सहारनपुर** में आगामी **गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)**, **शब-ए-बारात** एवं **रविदास जयंती** पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से जनपद के **समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों** द्वारा अपने-अपने थाना परिसरों में **समस्त ग्राम चौकीदारों (ग्राम प्रहरी)** की गोष्ठी आयोजित की गई।

▶ गोष्ठी का उद्देश्य

गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य त्यौहारों के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम सुनिश्चित करना रहा।

▶ प्रमुख दिशा-निर्देश

गोष्ठी के दौरान ग्राम चौकीदारों को उच्चाधिकारीगण द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों से अवगत कराते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रदान किए गए—

- अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर सतर्क दृष्टि बनाए रखने।
- संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों एवं गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने।
- किसी भी महत्वपूर्ण सूचना अथवा घटना की जानकारी **तत्काल** संबंधित थाना प्रभारी एवं उच्चाधिकारीगण को देने।
- अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्रिय भूमिका निभाने।
- धार्मिक स्थलों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों एवं कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने।

▶ आपसी समन्वय एवं जनसहयोग

ग्राम चौकीदारों को स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर आपसी सौहार्द बनाए रखने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए।

▶ **<u>पुलिस की तत्परता</u>**

जनपद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु पुलिस प्रशासन पूर्णतः सजग एवं तत्पर है।